न्यायालयःसहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी

पीठासीन अधिकारीः— श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

निर्णय दिनांकः— 21.11.2022

मुकदमा नम्बरः— 81 / 2007

जी.सी.एम.एस. नं0— 2007 / 00077

1. ओमप्रकाश (फौत.)
2. भागोती पुत्री ओमप्रकाश
3. शकुन्तला पुत्री ओमप्रकाश
4. कृष्ण कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश

जाति मेघवाल निवासी सागा तहसील खेतड़ी हाल आबाद नंगलीदीपसिंह तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

वादीगण..

बनाम

1. हरलाल (फौत)
   1/1 सुप्यार देवी पत्नी हरलाल
   1/2 बाबूलाल पुत्र हरलाल
   1/3 रोहताश पुत्र हरलाल
   1/4 मुकेश पुत्र हरलाल
   1/5 मु. छोटी देवी पुत्री हरलाल
   1/6 गुटटी देवी पुत्री हरलाल
   1/7 कमला पुत्री हरलाल
   1/8 मनफूली पुत्री हरलाल
2. बनवारी पुत्री मुन्नाराम

   जाति मेघवंशी निवासीगण ग्राम नंगली दीपसिंह तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज्य राजस्थान।
3. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

प्रतिवादीगण.....

दावा घोषणार्थ, विभाजन दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण ने जरिये वकील वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम नंगलीदीप सिंह पटवार हल्का गढ़लाकलां में भूमि खसरा न. 78, 79, 278/1, 290, 291, 292, 293, 323 कुल तादादी 7.43 है0 स्थित है उपरोक्त भूमि में वादग्रस्त भूमि 323 है इस खसरा न0 के अलावा अन्य किसी भी भूमि का विवाद नही है केवल खसरा न0 323 तादादी 0.89 है0 भूमि का ही विवाद है । विवादग्रस्त भूमि खसरा न0 323 तादादी 0.89 है0 भूमि को वादी ने जरिये विकय पत्र दिनांक 09.06.1997 को प्रतिवादी न0 1,2 के पिता मुगांराम पुत्र लादुराम निवासी नंगली दीपसिंह से खरीदी थी व कीमत के 50,000/ रूपये अंकेही पचास हजार रूपये दिये थे व खरीदने के बाद में [illegible] का हो गया तथा प्रतिवादी न0 1, 2 के पिता ने संभला दिया व विकय पत्र के बाद इस [illegible] काश्त करने लग गया इस तरह से उपरोक्त खसरा न0 323 वाके ग्राम नंगली [illegible] काश्तकार हो गया व कब्जा काश्त उपरोक्त भूमि पर वादी का ही है। प्रतिवादीगण का इस भूमि से [illegible] नही है। प्रति[illegible] 1,2 के पिता के स्वर्गवास होने पर प्रतिवादीगण [illegible] भरा गया इसके बाद में [illegible]गण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 18:01:35 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त भूमि पर लोन लेने की कार्यवाही करने लगे तब वादी को पता चला कि प्रतिवादीगण गलत रिकार्ड के आधारा पर उपरोक्त भूमि का विकय करवाना चाहते है या इस पर लोन लेकर रहन रखना चाहते है इस गलत रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते हे। वादी को दिनांक 01.05.2007 को प्रतिवादी न0 1,2 ने धमकी दी कि भूमि खसरा न0 323 तादादी 0.89 है0 पर से बेदखल करेगे। अन्तं में वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि खसरा न0 323 तादादी 0.89 है0 वाके ग्राम नंगली दीपसिंह का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण न0 1, 2 को जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी कब्जे काश्त में दखंलदाजी नही करे तथा ऐसा कृत्य ना ही तो स्वयं करे तथा ना ही अपने अधीनस्थ नौकर, एजेन्ट इत्यादि से करावे। वादपत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की ओर से जबाब वाद पत्र पेश किया है कि वादपत्र की धारा 1 में दर्ज कथन वादी का ग्राम सागा तहसील खेतड़ी का रहवासी तथा प्रतिवादीगण का नगलीदीपसिंह का रहवासी होना स्वीकार है तथा यह भी स्वीकार है कि ग्राम नंगलीदीपसिंह पटवार हल्का गढ़लाकलां में भूमि खसरा न. 78, 79, 278/1, 290, 291, 292, 293, 323 का होना स्वीकार है। वादपत्र की धारा 2 कतई गलत दर्ज होने से अस्वीकार है कि ग्राम गढ़लाकलां की भूमि खसरा न. 79, 278/1, 290, 291, 292, 293, 323 के काबिज खातेदार स्वर्गीय मूंगाराम थे, मूंगाराम सन 1990 से अस्थमा के मरीज थे तथा दीमा की बीमारी के कारण काश्त करने में असमर्थ थे तथा चारपाई पर ही रहते थे। इसलिए दिनांक 09.06.1997 को स्वर्गीय मूंगाराम ने कोई विकय पत्र पंजीयन नहीं कराया तथा लम्बी बीमारी के पश्चात् सन् 1998 में स्वर्गीय मूंगाराम का देहान्त हो गया उनकी मृत्यु के पश्चात् स्वर्गीय मूंगाराम की खातेदारी भूमि पर जवाबदेहन्दा काबिज हो गए तथा काश्त करना शुरू कर दिया तथा प्रस्तुत भूमि का नामान्तकरण भी जवाबदेहन्दा के हक में भरा जाकर तस्दीक हो चुका था। इस प्रकार वादी की मौन स्वीकृति जवाबदेहन्दा के कब्जे काश्त एवं राजस्व रिकॉर्ड को वादी ने आज तक विधिमान्य किया है। इसी प्रकार वादपत्र की धारा 3 गलत दर्ज होने से अस्वीकार है क्योंकि स्वर्गीय मूंगाराम का देहान्त होने पर वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड जवाबदेहन्दा के हक में पूर्ण जांच करके कब्जे के आधार पर नामान्तकरण भरा गया जिसे किसी भी न्यायालय में वादी ने आज तक चुनौती नहीं दी तथा उसके पश्चात् जवाबदेहन्दा ने सम्पूर्ण भूमि का विधिवत विभाजन कर लिया तथा विभाजन का नामान्तकरण संख्या 229 दिनांक 12.01.2007 को जवाबदेहन्दा के हक में भरा गया जिसे भी वादी ने आज तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी। प्रस्तुत भूमि पर जवाबदेहन्दागण ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा केड से ऋण भी ले रखा है तथा भूमि वादग्रस्त बैंक के रहन है। इस प्रकार जवाबदेहन्दा वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार हक अधिकार कब्जा नहीं है। जवाबदेहन्दागण ने अपने अतिरिक्त कथन में उल्लेख किया है कि जवाबदेहन्दा के पिता मूंगाराम ने वादी के पक्ष में कोई विकय पत्र पंजीयन नहीं कराया, तथाकथित विकय पत्र फर्जी व बनावटी है जिस बाबत् फर्जी विकय पत्र को मन्सूख करवाने के लिए सिविल न्यायालय में अलग से कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उक्त फर्जी विकय पत्र के आधार पर वादी को कोई हक अधिकार सृजित नहीं होते तथा कानूनन उक्त अन्तरण अवैध है क्यांकि अन्तरण मूल्य अदा नहीं किया गया तथा कब्जे का अन्तरण नहीं हुआ है। इस प्रकार से वादग्रस्त भूमि पर वादी का किसी प्रकार से हक अधिकार नहीं होने से दावा खारिज होने योग्य है। वादग्रस्त भूमि बैंक रहन है जो प्रस्तुत वाद में आवश्यक प्रस्तावित पक्षकार है जिसे पक्षकार नहीं बनाया इसलिए प्रस्तुत वाद कानूनन आदेश [illegible] के तहत खारिज होने योग्य है। काउन्टर क्लेम कर्ता प्रतिवादी संख्या 1 हरलाल की ग्राम नंगली[illegible]सिंह [illegible] भूमि खसरा न. 291, 290, 323, 520/79, 524/292, 522/293 रकबा कमशः 0.05, 0.40, 0.89, 1.8[illegible], [illegible]1, 0.81 है0 अवस्थित है उक्त भूमि पर काउन्टर क्लेम कर्ता का कब्जा काश्त है उपरोक्त भूमि का[illegible] कर्ता की पैत्रिक भूमि है जो वाद विभाजन प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आई है उपरोक्त भूमि [illegible]ग्रस्त है जिस बाबत् काउन्टर क्लेम पेश किया गया है। वादी द्वारा फर्जी एवं बनावटी विकय पत्र के आधार पर काउन्टर क्लेम कर्ता को प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 13:01:35 IST
Reason: SelfAttested

काउन्टर काउन्टर क्लेम बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः जवाबदावा मय काउन्टरक्लेम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विरुद्ध वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम विरुद्ध वादी स्वीकार किया जाकर वादी ओमप्रकाश को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त टिनेन्सी अधिकारों को भूमि खसरा न. 291, 290, 323, 520/79, 524/292, 522/293 वाके ग्राम नंगलीदीपसिंह में स्थित है काउन्टर क्लेम कर्ता के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार बाधा व अवरोध नहीं करें काउन्टर क्लेमकर्ता को शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग करने देवे। जवाब काउन्टर क्लेम में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के जवाब में वकील वादी ने निवेदन किया कि भूमि खसरा न. 323 वादी ओमप्रकाश के कब्जे काश्त की भूमि है। उपरोक्त भूमि पर दिनांक 09.06.1997 से कब्जा काश्त वादी का है, उपरोक्त भूमि प्रतिवादी के पिता ने जरिये विक्रय पत्र विक्रय कर दी थी विक्रय केबाद से कब्जा भी वादी को दे दिया था। यह कहना गलत है कि मौके पर कब्जा प्रतिवादी का हो बल्कि ओमप्रकाश का कब्जा काश्त है प्रतिवादीगण को काउन्टर क्ले पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण का कोई कब्जा भूमि खसरा न. 323 पर नहीं है। वादी का विक्रय पत्र सब रजिस्ट्रार उदयपुरवाटी के यहां पर तस्दीक हुआ है। उपरोक्त विक्रय पत्र ना तो फर्जी है, ना ही बनावटी है, ना ही उपरोक्त विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में कैन्सिल का कोई मुकदमा किया गया है तथा ना ही प्रतिवादीगण को वाद पेश करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। विक्रय पत्र के आधार पर कब्जा वादी ओमप्रकाश का है व विक्रय पत्र फर्जी नहीं है, ना ही प्रतिवादीगण को कोई काउन्टर क्लेम करने का वादाधिकार पैदा नहीं हुआ है। वादी ने जवाब काउन्टर क्लेम में अपने अतिरिक्त कथन में बताया कि विक्रय पत्र के हक में हरलाल व बनवारी प्रतिवादी के पिता ने दिनांक 09.06.1997 को करवाया है, उपरोक्त विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। अतः जवाब काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि काउन्टर क्लेम प्रतिवादी खारिज फरमाया जाकर वादी का वाद डिक्री फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद तामिल हाजीर नही । अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई।

वादपत्र में तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी द्वारा दिनांक 09.06.1997 को खरीदी गई भूमि ग्राम नंगली दीपसिंह की भूमि खसरा न. 323 रकबा 0.89 है0 का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जावे।

   भा0 स0 वादी

2. आया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा न. 323 में वादी के सामने कोई व्यवधान नहीं करे।

   भा0 स0 वादी

3. आया प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण की टीनेन्सी भूमि में कोई व्यवधान कारित नहीं करे।

   भा0 स0 प्रतिवादीगण

4. आया वाद वादी मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

   भा0स0 प्रतिवादीगण

5. दादरसी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 18:01:35 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में गवाह ओमप्रकाश ने शपथ पत्र पेश किया तथा जिरह पूर्ण की गई तथा बयान कलम बद्ध किये गये। साक्ष्य प्रतिवादी मे हरलाल, शीशराम व सुखदेव ने शपथ प्रतिवादी का शपथ पत्र पेश किया तथा हरलाल से जीरह पूर्ण की गई तथा बयान कलम बद्ध किये गये।

बहस दावा पर एक पक्षीय श्रवण की गई। बहस के दौरान वादीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा न0 323 तादादी 0.89 है0 भूमि को वादी ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 09.06.1997 को प्रतिवादी न0 1,2 के पिता मुगांराम पुत्र लादुराम निवासी नंगली दीपसिंह से खरीदी थी व कीमत के 50,000/ रूपये अंकेहीउ पचास हजार रूपये दिये थे व खरीदने के बाद में में उपरोक्त भूमि का कब्जा भी वादी का हो गया तथा प्रतिवादी न0 1, 2 के पिता ने संभला दिया व विक्रय पत्र के बाद इस भूमि को काश्त करने लग गया इस तरह से उपरोक्त खसरा न0 323 वाके ग्राम नंगली दीपसिंह का वादी खातेदार काश्तकार हो गया व कब्जा काश्त उपरोक्त भूमि पर वादी का ही है। प्रतिवादीगण का इस भूमि से कोई लेना देना नही है। प्रतिवादी न0 1,2 के पिता के स्वर्गवास होने पर प्रतिवादीगण के नाम से नामान्तकरण भरा गया इसके बाद में प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि पर लोन लेने की कार्यवाही करने लगे तब वादी को पता चला कि प्रतिवादीगण गलत रिकार्ड के आधारा पर उपरोक्त भूमि का विक्रय करवाना चाहते है या इस पर लोन लेकर रहन रखना चाहते है इस गलत रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते हे। अत वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है। प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता बहस हेतु उपस्थित नहीं हुऐ।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

1. **आया वादी द्वारा दिनांक 09.06.1997 को खरीदी गई भूमि ग्राम नंगली दीपसिंह की भूमि खसरा न. 323 रकबा 0.89 है0 का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जावे।**

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श 3 विक्रय पत्र के अनुसार वादीगण के पिता ओमप्रकाश ने प्रतिवादी के पिता मुंगाराम से दिनांक 09. 06.1967 को क्रय कि थी तथा कब्जा भी ले लिया था तथा कब्जा भी वादीगण का ही है। वादीगण इस तनकी को साबित करने में सफल रहा, इसलिए यह तनकी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

2. **आया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा न. 323 में वादी के सामने कोई व्यवधान नहीं करे।**

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण के पिता ने जब से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उक्त भूमि खसरा न0 323 रकबा 0.89 है0 को क्रय किया है तब से वादीगण के पिता का और अब वादीगण के वारिसान का कब्जा काश्त है। अतः मौके पर अनावश्यक विवाद ना बढे इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। अतः वादी इस तनकी को साबित करने में सफल रहा है, इसलिए यह तनकी वादीगण के पक्ष एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

3. **आया प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण की टीनेन्सी भूमि में कोई व्यवधान कारित नहीं करे।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 18:01:35 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है लेकिन उक्त भूमि खसरा न0 323 को वादीगण के पिता ने जरिये विक्रय पत्र क्रय किया तथा वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है जब से क्रय किया है । अतः प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में असफल रहा है, इसलिए यह तनकी वादी के पक्ष एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

4. **आया वाद वादी मय खर्चा हर्जा खारिज किया जावे।**

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था लेकिन प्रतिवादीगण के पिता मूंगाराम ने उक्त भूमि खसरा नं0 323 को वादीगण को जरिये रजिस्ट्रड विक्रय पत्र बेचान कर दिया। अतः इस तनकी को प्रतिवादीगण साबित करने में सफल नहीं रहे। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादीगण पर जिन तनकीयात को साबित करने का भार था वादीयागण उनको साबित करने में सफल रहे तथा प्रतिवादीगण एक भी तनकीयात साबित करने में सफल नही हुए। उक्त विवेचन से वादीयागण प्रस्तुत वाद के जरिये अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है। ग्राम नंगली दीप सिंह पटवार हल्का गढला कलां के भूमि खसरा न0 323 रकबा 0.89 है0 का खातेदार काश्तकार वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारीज किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम नंगली दीप सिंह पटवार हल्का गढला कलां तहसील गुढागौडजी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 323 कुल रकबा 0.89 है0 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम खारीज किया जाता हैं। तद्नुसार तहसीलदार गुढागौडजी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

21-11-22

(रामसिंह राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

21-11-22

(रामसिंह राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 18:01:35 IST
Reason: SelfAttested